

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-177/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बड़ेया नाग

- विक्रेता

जयपाल कुजूर

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

25.11.20

आदेश

आवेदक बड़ेया नाग पिता स्व० एतवा नाग ग्राम-जोजोटोली, कदमा, पो०-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने जयपाल कुजूर पिता स्व० संतोष कुजूर ग्राम-कालामाटी, पो०-फुदी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
कदमा	84	19	679	0.09


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0612095857 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 960 दिनांक 18.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बड़ेया मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार पड़ेया मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का 8.56 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 8.56 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 8.47 एकड़ रह जाती है।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पड़नाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बड़ेया नाग पिता स्व० एतवा नाग को जयपाल कुजूर पिता स्व० संतोष कुजूर के साथ ग्राम कदमा के खाता सं० 19 खेसरा संख्या 679 कुल रकबा 0.09 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


25/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


25/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।